

# इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह  
अल-मुनज्जिद

104399 - क्या उसके लिए अपने बेटे की ओर से ऊँट या गाय का अक्रीका करना सही है ?

## प्रश्न

क्या उस व्यक्ति के लिए जो अक्रीका करना चाहता है अपने बेटे के लिए दो भेड़ों के बदले एक बछड़ा ज़बह करना संभव है ?

## विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

अक्रीका के बारे में जो सुन्नत वर्णित है वह यह है कि बच्चे की ओर से दो बकरियाँ, और बच्ची की ओर से एक बकरी अक्रीका किया जाय। क्योंकि अबू दाऊद (हदीस संख्या : 2842) ने अम्र बिन शुऐब से उन्हीं ने अपने बाप से उन्हीं ने अपने दादा से रिवायत किया है कि उन्हीं ने कहा : अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "जिस व्यक्ति के कोई बच्चा पैदा हो तो वह उसकी ओर से अक्रीका करना चाहे, तो उसे चाहिए कि बच्चे की ओर से दो बराबर बकरियाँ और बच्ची की ओर से एक बकरी अक्रीका करे।" इसे अल्बानी ने सहीह अबू दाऊद में हसन कहा है।

विद्वानों ने इस बारे में मतभेद किया है कि : क्या ऊँट या गाय का अक्रीका पर्याप्त होगा या नहीं ? जमहूर (यानी विद्वानों की बहुमत) इस बात की ओर गए हैं कि उन दोनों का अक्रीका जायज़ है। जबकि कुछ लोगों ने इससे मनाही की है ; क्योंकि सुन्नत (हदीस) में केवल बकरी का वर्णन हुआ है।

"अल-मौसूअतुल फ़िक्हियह" (30/279) में आया है : "अक्रीका में वही –जानवर- पर्याप्त है जो कुर्बानी में पर्याप्त होता है, और वह मवेशी ऊँट, गाय और भेड़-बकरी हैं, और इनके सिवाय अन्य जानवर पर्याप्त नहीं हैं। इस बात में अहनाफ, शाफेईया और हनाबिला के बीच सहमति है। और मालिकिया के निकट दो कथनों में से सबसे राजेह (संभावित) कथन यही है, जबकि उसके मुक़ाबले में जो कथन है वह यह है कि अक्रीका भेड़-बकरी से ही होना चाहिए।" अंत हुआ।

सबसे बेहतर यह है कि सुन्नत का अनुसरण करते हुए, अक्रीका भेड़-बकरी से ही हो। यहाँ पर ऊँट और गाय या बछड़े से बकरी अधिक प्राथमिकता रखती है।

# इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह  
अल-मुनज्जिद

शैख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह ने फरमाया : "जहाँ तक कुर्बानी के जानवरों का संबंध है तो लेखक ने कहा है : "सबसे अफ़ज़ल ऊँट, फिर गाय, फिर भेड़-बकरी है", और उनका मतलब यह है कि अगर उसने एक समुचित ऊँट निकाल दिया तो वह बकरी से अफ़ज़ल है . . . सिवाय अक्रीका के। क्योंकि उसमें पूरे ऊँट से बकरी अफ़ज़ल है ; क्योंकि सुन्नत में इसी का वर्णन हुआ है। इसलिए यह ऊँट से अफ़ज़ल है।" "अश-शर्हुल मुम्ते" (7/424) से अंत हुआ।

इस आधार पर, बटे की ओर से बछड़े (गाय) का अक्रीका करने में कोई आपत्ति की बात नहीं है, परंतु दो बकरियाँ सबसे बेहतर हैं।

यहाँ पर यह जान लेना उचित है कि अक्रीका में भी वही चीज़ें शर्त हैं जिनकी शर्त कुर्बानी के जानवर में लगाई जाती है। उन्हीं शर्तों में से यह है कि : गाय ने दो साल मुकम्मल कर लिया हो और तीसरे साल में दाखिल हो गई हो। इसका उल्लेख प्रश्न संख्या (41899) के उत्तर में हो चुका है। अतः दो साल से छोटे बछड़े की कुर्बानी या अक्रीका करना जायज़ नहीं है।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।